



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पत्रांक: DSW/

दिनांक: 01.04.2022

अधिसूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है नेट पास पी0एच0डी0 छात्रवृत्ति 2021-22 की सूचि पूर्व में प्रेषित पत्रांक DSW/NET Pass Ph.D Sch/2021-22/2644 Dated 28-12-2021 के पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जो उक्त से सम्बन्धित अर्ह विद्यार्थियों की सूचि एवं बिल प्रारूप विश्वविद्यालय की Website www.ccsuniversity.ac.in पर एवं सम्बन्धित महाविद्यालय और विश्वविद्यालय परिसर के शैक्षणिक विभागों को सूचि उपलब्ध करा दी गयी थी। वित्तीय वर्ष अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक नेट पास पी0एच0डी0 में पंजीकृत विद्यार्थियों जिनकी पारिवारिक आय रुपये पाच लाख से कम है को रू0 3000/- प्रतिमाह विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के अर्न्तगत जो विद्यार्थी अर्ह पाये गये थे उन विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वह अपना छात्रवृत्ति बिल भरकर महाविद्यालय के छात्र अपने पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) एवं प्रचार्य/प्रचार्या से और विश्वविद्यालय परिसर के छात्र अपने सुपरवाइजर एवं विभागाध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर अधिष्ठाता छात्र कल्याण (DSW) कार्यालय चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर मेरठ में स्वयं उपस्थित होकर (स्टाक बुक रजिस्टर में हस्ताक्षर हेतु) दिनांक 01 अप्रैल 2022 से दिनांक 12 अप्रैल 2022 तक किसी भी कार्यालय दिवस में अपना छात्रवृत्ति बिल अति शीघ्र जमा करा दे जिससे समयानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जा सके। जिन विद्यार्थियों ने पूर्व में प्रथम किस्त के रूप में दिनांक 01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 दिसम्बर 2021 तक (कुल 9 माह) का छात्रवृत्ति बिल प्रस्तुत किया था उनको विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किया जा चुका है। अब शेष छात्रवृत्ति जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक का बिल दी गयी तिथि में जमा करने है। यह भी सूच्य है कि संस्था के विभागाध्यक्ष/प्रचार्य/प्रचार्या एवं सुपरवाइजर सुनिश्चित कर ले कि सूचि में अंकित कोई विद्यार्थी उक्त अवधि में अपना शोध ग्रन्थ जमा न कर दिया हो, शोध कार्य छोड़ न दिया हो, उसे किसी अन्य प्रकार की फेलोशिप जैसे UGC JRF/SRF आदि का लाभ प्राप्त न कर रहा हो या कहीं कार्यरत न हो, की जाच करने के उपरान्त ही छात्रवृत्ति बिल अग्रसारित किया जाये। उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी विद्यार्थी की कोई भी गलत सूचना पायी जाती है तो उसकी छात्रवृत्ति निरस्त कर दी जायेगी और विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसकी समस्त उत्तदायी संस्था एवं विद्यार्थियों की होगी।

अतः आप सभी पर्यवेक्षकों, प्रचार्य/प्रचार्या एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि उपरोक्त का अवलोकन कर शीघ्रताशीघ्र नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय,

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वैयक्तिक सहायक कुलपति को कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रतिकुलपति को प्रतिकुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर एवं प्रचार्य/प्रचार्या सम्बद्ध महाविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित है कि उक्त के सम्बन्ध में यथाशीघ्र अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।
4. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता) को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित करने का कष्ट करें।
5. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
6. वैयक्तिक सहायक वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
7. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट को सूचनार्थ एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

14.04.2022